भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2889
बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

पीएसीएस के साथ जन औषधि केंद्रों की सफलता

2889 # श्री नीरज शेखरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पीएसीएस) अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और नेटवर्क का उपयोग कैसे कर सकती हैं;
(ख) पीएसीएस द्वारा संचालित केन्द्रों की संधारणीयता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी कार्यनीतियां लागू की गई हैं और उक्त कार्यनीतियों को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है; और
(ग) छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण में पीएसीएस और जन औषधि केंद्रों का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है और उक्त पहल का लाभ विस्तृत आबादी तक पहुंचाने के लिए इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): ग्रामीण नागरिकों को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) चलाने में सक्षम बनाया है।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) जन औषधि केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए 13 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क और मौजूदा अवसरंचना जैसे भूमि, भवन और भंडारण सुविधाओं का उपयोग कर सकती हैं। इससे वे उन दूरस्थ क्षेत्रों में किफायती दवाओं के केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं, जहां ऐसी सेवाएं सीमित हैं। पैक्स का स्थापित विश्वास और ग्रामीण जनसंख्या के साथ इसके संबंध इन केंद्रों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

(ख): भारत सरकार के औषध विभाग द्वारा संचालित यह योजना केंद्रों को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) से की गई मासिक खरीद के 20% की दर से प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति माह है, जो स्टॉक अधिदेश की शर्तों के अधीन है । इसके अतिरिक्त, केंद्र मालिकों को प्रत्येक दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) (करों को छोड़कर) पर 20% मार्जिन प्रदान किया जाता है। केंद्रों को संबद्ध चिकित्सा उत्पादों को बेचने की भी अनुमति है जो आमतौर पर केमिस्ट की दुकान में बेचे जाते हैं। इस प्रकार, ये प्रावधान पैक्स द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र की स्थिरता और लाभप्रदता को सुनिश्चित करते हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच के लक्ष्य के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करती है कि सस्ती दवाएं ग्रामीण आबादी तक पहुंच सकें, जिससे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

(ग): पैक्स और जन औषधि केंद्रों का एकीकरण छोटे और सीमांत किसानों को उनके चिकित्सा खर्च को कम करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता में अधिक संसाधनों को आवंटित कर सकते हैं। यह पहल पैक्स स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करती है और उन्हें अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है।

पैक्स, अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क के माध्यम से, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी को जन औषधि केंद्रों की सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं।

*****